

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-5

संख्या: 785 XX(5)/25/03(10)2024-70461

देहरादून, दिनांक 06 जून 2025

अधिसूचना

समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 के अंतर्गत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो किन्तु उनके विवाह का पंजीकरण न हुआ हो, को विवाह पंजीकरण हेतु अधिसूचना संख्या-104/XX(5)25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ₹250/- से छूट प्रदान की जाती है। उक्त छूट दिनांक 26 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगी। नागरिकों द्वारा सी0एस0सी0 केन्द्रों से सेवा लिये जाने पर 50 रुपये (GST सहित) शुल्क पूर्ववत् रहेगा।

02- गृह विभाग की अधिसूचना संख्या: 104/XX(5)25-03(10)2024-70795, दिनांक 27.01.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जायेगा तथा उक्त अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

Digitally signed by
Gajendra Singh Kaphalia
Date: 06-06-2025
1 (गजेन्द्र सिंह कफलिया)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 785 XX(5)/25/03(10)2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. स्थानिक आयुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. स्टेट हैड, सी0एस0सी0, एस0पी0वी0, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी शासकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
संयुक्त सचिव।